-1-

114

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 विविध -9090-I-16

श्याम जी तनय शिवनारायण
निवासी– पठापुर तहसील व जिला
छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा पटवारी पठापुर तहसील
व जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 8 एवं 32 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 के तहत न्यायालय अधीक्षक भू अभिलेख, भू प्रबंधन जिला छतरपुर के प्रकरण क्र. 29/बी–121/08–09 में पारित आदेश दिनांक 04.11.09 का पालन हेतु

13-6-16

माननीय महोदय,

आवेदक निम्न प्रकार से निवेदन करता है :–

13/6/2016

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्याम जी तनय शिवनारायण निवासी– पठापुर के द्वारा एक आवेदन पत्र रिकार्ड सुधार बावत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि ग्राम पठापुर खसरा नं. 1076 एवं 1135 के रकवा क्र. 0.200, 0.486 हैक्टयर में पारित आदेश दिनांक 17.11.89 का राजस्व अभिलेख पटवारी, राजस्व निरीक्षक द्वारा आज तक खसरे में अमल नहीं किया गया उक्त आशय का निवेदन किया।
2. यहकि, विधिवत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया इस्ताहर जारी किया गया प्रकरण वाय अवलोकन प्रकरण दर्ज दायरा हैड 121 में दर्ज किया गया अतः पटवारी/राजस्व निरीक्षक, भू प्रबंधन ग्राम पठापुर में पारित आदेश

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 9090–एक/2016 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –02–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों के तर्क सुने गये। आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो के आधार पर प्रकरण में निर्णय लेने का निवेदन किया। 2/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमो में मुख्य रूप से यह आधार दिया है कि धारा 8 एवं 32 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख लेखा भू प्रबंधन जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक 29/बी/08–09 में पारित आदेश दिनांक 4–11–09 का पालन पटवारी द्वारा न करने के कारण यह विविध प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उक्त आदेश का पालन कराये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। 3/ निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों एवं आवेदक अभिभाषक ने तर्कों के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण का परिशीलन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किया जा रहा है। दर्शित परिस्थितियों में आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण कमांक 29/बी–08–09 में पारित आदेश दिनांक 04–11–09 का विधिवत परीक्षण कर आवेदक का नाम खसरें में चढायें। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एम0के0 सिंह) सदस्य	